राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, चूरू

E-mail: churu.we@rajasthan.gov.in , Phone No. 01562-250980

F( ) ( )/WE/ESTT/SATHIN/2023-24 Date :-

विज्ञप्ति / 2024–25

जिले में निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, चूरू में आंमत्रित किये जाते है।

क्र.स.	कार्यालय का नाम / पता	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, चूरू	चूरू	**खासोली**
2		सरदारशहर	**बंधनरू दिखनादा**
3		सुजानगढ	**रणधीसर**

1. साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्त मानदेय कर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय परिपत्र प.19(1)()निमअ / साथिन चयन / परिपत्र / 2021 / 38229 दिनांक 14.10.2022 की शर्तो व विभागीय निर्देशों के अध्याधीन है।
2. **स्थानीय निवासी होना** :– आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की मूल व स्थानीय निवासी होनी चाहिए निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / जन आधार कार्ड / आधार कार्ड / मूल निवास प्रमाण पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र / ग्राम विकास अधिकारी / सरंपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से काई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र किया जावें।

   विधवा महिला व तालकशुदा , परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। (दस्तावेज संलग्न करें।)
3. **वैवाहिक स्थिति** :– साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नही है।

RajKaj Ref
8175246

Signature Not Verified

Digitally signed by Viplav Neola
Designation : Deputy Director
Date: 2024.06.19 16:24:10 IST
Reason: Approved

4. **शैक्षणिक योग्यता** :– साथिन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5. **आयु** :– आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित–प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)

    - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
    - परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।

6. **श्रेणीवार आरक्षण** :–

- जिन ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन ग्राम पंचायतों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा ग्राम पंचायत मे जनसंख्या की गणना ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त जनगणना रिपोर्ट के आधार पर ही की जानी चाहिए।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग जॉन क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी–लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

RajKaj Ref
8175246

Signature Not Verified

Digitally signed by Viplav Neola
Designation : Deputy Director
Date: 2024.06.19 16:24:10 IST
Reason: Approved

E-mail: churu.we@rajasthan.gov.in , Phone No. 01562-250980

एक बार क्रीमी–लेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी–लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र हो ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है।) अर्थात आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जाएंगे व इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

7. आवेदक अपने फार्म के साथ जो लागू हो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र(8वी/सैकण्डरी/हाई सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर/कम्प्यूटर कोर्स (RS-CIT/RS-CFA) /PGDCA या अन्य समकक्ष/उच्चतर कोर्स) व अनुभव प्रमाण पत्र व वर्ग (जाति प्रमाण पत्र), व बीपीएल/NFSA/अन्तयोदय प्रमाण पत्र व निवासी प्रमाण पत्र व विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8. आवेदन फार्म कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता चूरू अथवा विभागीय वेबसाईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।
9. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में स्वयं के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्तिशः/ अथवा अन्य माध्यम से दिनांक **20.07.2024 को सांय 03.00 बजे** तक जमा करा सकेगी। सांय 03.00 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
10. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।

RajKaj Ref
8175246

Signature Not Verified

Digitally signed by Viplav Neola
Designation : Deputy Director
Date: 2024.06.19 16:24:10 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, चूरू

E-mail: churu.we@rajasthan.gov.in , Phone No. 01562-250980

11. एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी।
12. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उप निदेशक महिला अधिकारिता चूरू कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(विप्लव न्यौला)
उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
चूरू

F( ) ( )/WE/ESTT/SATHIN/2023-24 Date :-

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू को भेजकर निवेदन है कि साथिनों के रिक्त पद भरे जाने हेतु उपर्युक्त ग्राम पंचायतों पर आगामी ग्राम सभा में साथिनों के रिक्त पदों पर चयन करने हेतु संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति चूरू/सुजानगढ़/सरदारशहर को भेजकर निवेदन है कि रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत में आगामी ग्राम सभा में साथिन चयन को ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल करवाए।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी चूरू/सुजानगढ़/सरदारशहर जिला चूरू।
5. सुपरवाईजर महिला अधिकारिता चूरू/सुजानगढ़/सरदारशहर, जिला चूरू को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें एवं आगामी ग्राम सभा में चयन सुनिश्चित करावें।
6. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत....................................को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
8. कार्यालय साथिन पत्रावली।

उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
चूरू

RajKaj Ref
8175246

Signature Not Verified
Digitally signed by Viplav Neola
Designation : Deputy Director
Date: 2024.06.19 16:24:10 IST
Reason: Approved